न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश सं0-1, बयाना जिला भरतपुर (राज0)

उनवानी प्रकरण- मैसर्स महादेवी बनाम ऋषि गर्ग व अन्य
नम्बरी दीवानी नम्बर- 5/2018

दिनांक 30.08.2025

उभय पक्षकारान उप0। प्रार्थी-प्रतिवादी संख्या-1 लगायत 4 की ओर से अधिवक्ता श्री श्रीराम शर्मा ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 7 सि0प्र0सं0 दिनांक 30.08.2025 को पेश किया गया। अधिवक्ता अप्रार्थी-वादी ने प्रार्थना पत्र का जवाब पेश करना नहीं चाहा, जिससे जवाबदेही बंद की जाती है।

प्रार्थना-पत्र आदेश 09 नियम 7 व धारा 151 सि0प्र0सं0 के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि उपरोक्त उनवानी प्रकरण में प्रतिवादी संख्या-1 लगायत 4 की ओर से श्री श्रीराम शर्मा, एडवोकेट के द्वारा पैरवी की जा रही है किन्तु गत पेशी 26.08.2025 पर सहवन भूल से प्रतिवादी संख्या-1 लगायत 4 के विरुद्व एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश पत्रावली पर किये जा चुके है जबकि प्रतिवादी संख्या-1 लगायत 4 उक्त प्रकरण में पैरवी कर रहे है तथा अधिवक्ता प्रार्थी गत पेशी पर उपस्थित रहे है इसलिए न्याय हित में प्रतिवादी संख्या-1 लगायत 4 के विरुद्व एकपक्षीय आदेश अपास्त कर सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाना न्याय हित में आवश्यक है। अतः प्रार्थना है कि प्रतिवादी संख्या-1 लगायत 4 के विरुद्व पारित एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश अपास्त कर सुनवाई का अवसर प्रदान करने की आज्ञा फरमाई जावे।

बहस सुनी गई । दौराने बहस अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया जबकि अधिवक्ता अप्रार्थी ने खारिज किये जाने का निवेदन किया।

उक्त प्रार्थना पत्र के सम्बंध में पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि दिनांक 20.08.2025 को प्रतिवादी संख्या-1 लगायत 4 की ओर से किसी के उपस्थित नहीं आने पर उनके विरुद्व प्रकरण में एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये गये थे। वाद अचल सम्पत्ति से संबंधित घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा के अनुतोष का है जिसमें दोनों पक्षों को सुनकर ही प्रकरण का निस्तारण किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। ऐसी स्थिति में न्यायहित में प्रतिवादी संख्या-1 लगायत 4 की

30/8/25

ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थी-प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 7 सि0प्र0सं0 स्वीकार कर उनके विरुद्ध दिनांक 20.08.2025 को एकपक्षीय कार्यवाही बाबत पारित आदेश अपास्त किया जाता है।

30/8/25
अपर जिला न्यायाधीश
संख्या-1, बयाना (भरतपुर)

पुनश्चयः

प्रार्थी-वादी की ओर से प्रार्थनापत्र आदेश 07 नियम 14 सि0प्र0सं0 दिनांक 13.11.2024 को पेश किया गया। प्रार्थी प्रतिवादिया संख्या-5 व 6 की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 08 नियम 1 (3) सि0प्र0सं0 पेश किया। जिनके जवाब पक्षकारान की ओर से पेश नहीं करने पर उनकी जवाबदेही बंद की गई।

मैसर्स महादेवी उद्योग संघ, बयाना की ओर से प्रार्थना पत्र आदेश-7 नियम 14 सि0प्र0सं0 पेश किया। जिसके संक्षेप में तथ्य इसप्रकार से हैं कि उपरोक्त उनवानी प्रकरण में आज की तारीख पेशी नियत है, प्रकरण में अभी तक प्रतिवादी संख्या-5 का जवाब प्रस्तुत नहीं हुआ है एवं वादी-प्रार्थी की ओर से जवाब उल जवाब प्रस्तुत किये जाने बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था उक्त प्रार्थना पत्र आदेश 8 नियम 9 सि0प्र0सं0 की बहस हेतु नियत है। प्रतिवादी संख्या-1 लगायत 4 व 6 की ओर से जवाब दावा में प्रार्थना पत्र 136 एलआर एक्ट के आधार पर राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज दिनांक 06.10.2004 को कराना बतलाया है। प्रार्थी की ओर से न्यायालय संभागीय आयुक्त, भरतपुर में आदेश दिनांक 06.10.2024 के विरुद्ध अपील प्रस्तुत की गई थी, उक्त अपील बाबत वादी-प्रार्थी की ओर से दस्तावेज पेश किया है, वादी-प्रार्थी की अपील दिनांक 21.05.2014 को संभागीय आयुक्त महोदय, भरतपुर से स्वीकार हो गई तथा आदेश उपखंड अधिकारी, बयाना मुकदमा संख्या 41/2004 श्रीमती सरोज सिंघल बनाम तहसीलदार, बयाना दिनांक 06.10.2004 को निरस्त कर दिया गया है। प्रार्थी-वादी की ओर से संभागीय आयुक्त दिनांक 21.05.2024 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत की जा रही है जो कि प्रकरण की विवादित जायदाद से संबंधित है जिनका रिकॉर्ड पर लिया जाना न्याय निर्णय के लिए आवश्यक है। प्रकरण में अभी तक जवाब दावा शेष है तथा तनकीयात कायम नहीं हुई है दावा

30/8/25
अपर जिला न्यायाधीश
संख्या-1, बयाना (भरतपुर)

अभी प्रारंभिक स्तर पर है तथा दावे के दौरान संभागीय आयुक्त का निर्णय दिनांक 21.05.2024 अस्तित्व में नहीं था। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेज निर्णय दिनांक 21.05.2024 न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर को रिकॉर्ड पर लिया जावे।

प्रतिवादी संख्या-5 व 6 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 8 नियम 1 (3) सि0प्र0सं0 के तथ्य संक्षेप में ईस प्रकार से हैं कि उपरोक्त उनवानी प्रकरण में वादी अप्रार्थी द्वारा गत तारीख पेशी पर माननीय न्यायालय एसडीओ, बयाना द्वारा पारित निर्णय व आदेश दिनांक 16.07.2025 मुकदमा सं0 13/2024 वउनवानी सरोज बनाम तहसीलदार की सत्य प्रतिलिपि पत्रावली पर पेश करने का प्रार्थना पत्र पेश किया था जबकि उपरोक्त निर्णय व आदेश दिनांक 16.07.2025 के विरुद्ध प्रतिवादीगण-प्रार्थीगण ने सक्षम न्यायालय श्रीमान संभागीय आयुक्त, भरतपुर के समक्ष अपील संख्या 140/2025 उनवानी सरोज बनाम तहसीलदार पेश कर रखी है, उक्त अपील व आदेशिका दिनांक 22.08.2025 की सत्य प्रतिलिपि उक्त प्रकरण के सही न्याय निर्णयन हेतु महत्वपूर्ण दस्तावेज है । अतः प्रार्थना है कि उपरोक्त राजस्व अपील संख्या 140/2025 उनवानी सरोज बनाम तहसीलदार की सत्य प्रतिलिपि को पत्रावली पर रिकॉर्ड पर लिये जाने की आज्ञा फरमाई जावे।

दौराने बहस अधिवक्ता प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्रों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया जबकि अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्रों को खारिज किये जाने का निवेदन किया।

तर्कों पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थना पत्रों के सम्बंध में पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि हस्तगत प्रकरण घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा से संबंधित है और बहस प्रार्थना पत्र के प्रक्रम पर लंबित है तथा अधिवक्ता पक्षकारान ने इस प्रक्रम पर दस्तावेज रिकार्ड पर लेने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। इस सम्बंध में यह उल्लेखनीय है कि अधिवक्ता प्रार्थिया श्रीमती सरोज द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेज आदेशिका संभागीय आयुक्त, भरतपुर 22.08.2025 तथा प्रस्तुत अपील श्रीमती सरोज सिंघल वगैरहा बनाम तहसीलदार, बयाना की प्रमाणित प्रतिलिपियों को रिकॉर्ड पर लिये जाने का निवेदन किया है तथा प्रार्थिया-वादिनी महादेवी द्वारा संभागीय

30/8/25

अपर जिला न्यायाधीश
संख्या-1, बयाना (भरतपुर)

आयुक्त दिनांक 21.05.2024 की प्रमाणित प्रति को रिकॉर्ड पर लिये जाने का निवेदन किया है । उक्त दस्तावेजात हस्तगत प्रकरण की कार्यवाही से संबंधित होकर प्रकरण के सुसंगत एवं वाद के न्यायपूर्ण निस्तारण में सहायता प्रदान करने वाले प्रकट होते हैं जिनके सम्बंध में अधिवक्तागण का ऐसा कोई आक्षेप नहीं रहा है कि उक्त दस्तावेज फर्जी अथवा कूटरचित हों। पत्रावली अप्रार्थी-प्रतिवादी के जवाब में नियत है तथा अधिवक्ता पक्षकारान को प्रस्तुत दस्तावेजात के सम्बंध में प्रतिपरीक्षा करने का पूर्ण अधिकार है जिससे पक्षकारान के हित किसी प्रकार से दुष्प्रभावित होना प्रकट नहीं होते है। ऐसी स्थिति में प्रार्थिया-प्रतिवादिया सरोज सिंघल की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 8 नियम 1 (3) सि0प्र0सं0 दिनांक 30.08.2025 एवं प्रार्थिया-वादिनी महादेवी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 14 सि0प्र0सं0 स्वीकार कर प्रस्तुतशुदा दस्तावेजात को रिकॉर्ड पर लिया जाता है। पत्रावली वास्ते जवाब प्रार्थना पत्र दिनांक 11.09.2025 को पेश हो।

30/8/25

(सोनाली प्रशांत शर्मा)
अपर जिला न्यायाधीश
संख्या-1, बयाना (भरतपुर)